

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब ना म	प्रतिवादी
किशोरमल पुत्र हीरायण का नाथपणपुय		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी
राजस्व वाद-पत्र = वाद रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत		
वाद-पत्र नम्बर	251 / 2021	GCMS No. 2021/1003
तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
1.12.2021	<p>वादी श्री <u>किशोरमल</u> पुत्र <u>हीरायण</u> जाति <u>का</u> निवासी <u>नाथपणपुय</u> द्वारा आज “प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 “ कैम्प ग्राम पंचायत <u>नाथपणपुय</u> में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत <u>2076-2077</u> ग्राम <u>नाथपणपुय</u> पटवार मण्डल <u>नाथपणपुय</u> के खाता नम्बर <u>46, 51</u> मे वादी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि <u>किशोरमल का हीरायण</u> दर्ज है, जो अशुद्ध है। वादी का शुद्ध नाम <u>किशोरमल पुत्र हीरायण</u> है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. <u>9765 7654 4613</u> आधार नम्बर <u>9765 7654 4613</u> मतदाता पहचान पत्र <u>R2125/196/582655</u> अन्य दस्तावेज <u>-</u> की छाया प्रति प्रस्तुत की है। इस संबंध में हल्का पटवारी <u>नाथपणपुय</u> भू.अ.नि <u>गण्डापुय</u> एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंषा की है। अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल हो।</p>	



उपखण्ड अधिकारी  
कुचामन सिटी (नागौर)

1051-1053

